रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 146] नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 18, 2017/चैत्र 28, 1939
No. 146] NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 18, 2017/CHAITRA 28, 1939

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

हैदराबाद, 7 अप्रैल, 2017

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा एजेंटों और बीमा मध्यवर्तियों को कमीशन अथवा पारिश्रमिक अथवा प्रतिफल का भुगतान) (पहला संशोधन) विनियम, 2017

फा. सं. भा.बी.वि.वि.प्रा./विनियम/3/140/2017.– बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा 31बी के साथ पठित धारा 114ए की उपधारा 2 के खंड (आईसी) और (जेडी) तथा बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) की धारा 14 की उप-धारा (1) और धारा 26 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राधिकरण इसके द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और विनियमों का प्रारंभ:

(क) ये विनियम भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा एजेंटों और बीमा मध्यवर्तियों को कमीशन अथवा पारिश्रमिक अथवा प्रतिफल का भुगतान) (पहला संशोधन) विनियम, 2017 के नाम से जाने जाएँगे।

(ख) ये विनियम 1 अप्रैल, 2017 को प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा एजेंटों और बीमा मध्यवर्तियों को कमीशन अथवा पारिश्रमिक अथवा प्रतिफल का भुगतान) विनियम, 2016 में

(क) विनियम 5(च) को निम्नलिखित शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा

"बीमाकर्ता द्वारा देय कमीशन अथवा पारिश्रमिक की अधिकतम दर निम्नलिखित में से किसी से भी अधिक नहीं होगीः-

(i) इन विनियमों के द्वारा विनिर्दिष्ट अधिकतम सीमा; अथवा

(ii) किसी अन्य विनियम अथवा दिशानिर्देश के अंतर्गत प्राधिकरण के द्वारा अनुमोदित कमीशन अथवा पारिश्रमिक की कोई अन्य दर जो भी कम हो।"

(ख) अनुसूची-III में, साधारण बीमा (मोटर को छोड़कर अन्य) - विनियम 5(घ) और अनुसूची-V, सारणी III – साधारण और स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमा (जैसा लागू हो) में शब्द "कॉरपोरेट" के स्थान पर "वाणिज्यिक" रखा जाएगा।

टी. एस. विजयन, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असाधारण/12/17]

INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA

NOTIFICATION

Hyderabad, the 7th April, 2017

Insurance Regulatory and Development Authority of India (Payment of commission or remuneration or reward to insurance agents and insurance intermediaries) (First Amendment) Regulations, 2017

F. No. IRDAI/Reg/3/140/2017.—In exercise of the powers conferred by clause (ic) and (jd) of su-bsection 2 of section 114A read with section 31B of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938), and read with su-bsection (1) of sections 14 and 26 of the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41 of 1999), the Authority hereby makes the following regulations, namely: -

1. **Short Title and Commencement of the Regulations:**

(a) These Regulations may be called the Insurance Regulatory and Development Authority of India (Payment of commission or remuneration or reward to insurance agents and insurance intermediaries) (First Amendment) Regulations, 2017.

(b) They shall come into force on 1st April, 2017.

2. In Insurance Regulatory and Development Authority of India (Payment of commission or remuneration or reward to insurance agents and insurance intermediaries) Regulations, 2016

(a) Replace Regulation 5(f) with the following wordings

“The maximum rate of commission or remuneration payable by an insurer shall not exceed either: -

(i) The maximum specified by these regulations; or

(ii) Any other rate of commission or remuneration approved by the Authority under any other Regulations or guidelines whichever is lower.”

(b) In Schedule – III, General Insurance (Other than motor) – Reg 5(d) and Schedule V, Table III – General and Stand Alone Health Insurance (as applicable) the word “corporate” may be replaced by “commercial”.

T. S. VIJAYAN, Chairman

[ADVT- III/4/ Exty./12/17]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2017.04.21 15:37:56 +05'30'